

उत्तर प्रदेश शासन,  
नगर विकास अनुभाग-1  
संख्या-78 /9-1-2017-1सा/18  
लखनऊ / दिनांक: 19 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश के नागर निकायों में अधिशासी अधिकारी के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने के संबंध में निर्गत नगर विकास अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-789एम/9-4-17-34इ.ओ./13, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 के क्रम में जिलाधिकारी-गोण्डा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार जनपद-गोण्डा की रिक्त अधिशासी अधिकारी के पदों का अतिरिक्त प्रभार निम्नानुसार उप जिलाधिकारियों को उनके पदीय दायित्वों के साथ-साथ निर्वहन करने हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है:-

क्रमांक	निकाय का नाम	प्रस्तावित अतिरिक्त प्रभार
1	2	3
1	नगर पंचायत परसपुर, गोण्डा	श्री नन्हें लाल, उप जिलाधिकारी करनैलगंज।
2	नगर पंचायत खरगूपुर, गोण्डा	श्री बृजेश कुमार प्रसाद, अपर उप जिलाधिकारी, प्रथम।
3	नगर पंचायत मनकापुर, गोण्डा	श्री उमेश चन्द्र उपाध्याय, उप जिलाधिकारी, मनकापुर।

2. उक्त प्रभार नितान्त अस्थायी है और इस हेतु संबंधित उपजिलाधिकारियों को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा तथा निकाय में नियमित अधिशासी अधिकारी की तैनाती हो जाने पर उक्त प्रभार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

मनोज कुमार सिंह  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2-आयुक्त, देवीपाटन मण्डल गोण्डा।
- 3-जिलाधिकारी, गोण्डा।
- 4-अध्यक्ष, नगर पंचायत, परसपुर, खरगूपुर, मनकापुर, जनपद-गोण्डा।
- 5-जिलाधिकारी, गोण्डा को संबंधित उपजिलाधिकारियों/अधिशासी अधिकारियों के सूचनार्थ।
- 6-अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत परसपुर, खरगूपुर, मनकापुर, जनपद-गोण्डा।
- 7-गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
  
( बृजेन्द्र सिंह )  
अनु सचिव।